रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 1975/पौष 12, 1896

No. 2] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 1975 /PAUSA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।]

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 2nd January 1975

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in partial modification of the notification of Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 47/73-CE, dated the 1st March, 1973, the Central Government hereby exempts Nylon Staple Fibres, falling under Item No. 18, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 6 per kilogram.

This notification shall remain in force upto and inclusive of the 1st day of January, 1976.

[No. 2/75-CE./F. No. 50/11/71-CX. 2]

N. OBHRAI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1975

सा० का० नि० 2 (**अ**).—केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/73-सी ई, तारीख 1 मार्च 1973 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18, के अधीन आने वाले नाइलौन स्टेपल फाइबर को, उस पर उदग्रहणीय उसने उत्पाद शुल्क से जितना 6/– रु० प्रति किलोग्राम से अधिक है, छूट देती है ।

यह अधिसूचना 1976 की जनवरी के पहले दिन तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 2/75-सी० ई०/फा० सं० 51/11/71-सी एक्स० 2]

एन० ओभराय, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975